

कार्यालय : अंचल अधिकारी, चौपारण (हजारीबाग)

इंदीवर पियुष पिता भरत सिंह, सा0-तेतरिया

-बनाम-

देवानन्द यादव वगै0 पिता जगन यादव, सा0-तेतरिया

विविध वाद संख्या11...../24-25

दिनांक	आदेश पत्रक	अभ्युक्ति
16.12.24.	आवेदक इंदीवर पियुष पिता भरत सिंह, ग्राम-तेतरिया थाना-चौपारण ने मौजा तेतरिया थाना सं0-59 अंतर्गत खाता सं0-4 प्लॉट सं0-1020 रकबा 10 डी0 एवं प्लॉट सं0-1021 रकबा 5 डी0 जमीन को जबरन तेतरिया निवासी (1) नरेश यादव पिता स्व0 अनहछ यादव (2) सुरेश यादव पिता अनहछ यादव (3) देवानन्द यादव पिता जगन यादव (4) रमेश यादव पिता नरेश यादव द्वारा दखल-कब्जा करने के संबंध में आवेदन दिया है, उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, अभिलेख दिनांक <u>15.01.25.</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
15.01.25.	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः नोटिस निर्गत कर भूमि संबंधी कागजात की मांग करें, अभिलेख दिनांक <u>20.01.25</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
20.01.25.	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त, उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का जाँच प्रतिवेदन राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें, अभिलेख दिनांक <u>21.02.25.</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
21.02.25.	अभिलेख उपस्थापित। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक <u>18.03.25.</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	
18.03.25.	अभिलेख उपस्थापित। कार्य व्यस्तता के कारण अभिलेख दिनांक <u>16.04.25.</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण	

दिनांक

आदेश पत्रक

अभ्युक्ति

16.04.25.

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्षों से संबंधित हल्का कार्यालय में उपलब्ध राजस्व कागजातों के आधार पर समर्पित प्रतिवेदन इस प्रकार हैं :-

सर्वे खतियान के अनुसार :- मौजा तेतरिया थाना सं०-59 खाता सं०-4 प्लॉट सं०-14 रकबा 0.13 ए०, प्लॉट सं०-25 रकबा 0.05 ए०, प्लॉट सं०-43 रकबा 0.06 ए० एवं अन्य, कुल प्लॉट की सं०-100 कुल रकबा 6.88 ए० ऑनलाइन सर्वे खतियान कारु ग्वाला वगैरह के नाम से दर्ज हैं।

प्रथम पक्ष का चालु पंजी 2 के अनुसार :- ग्राम तेतरिया के चालु पंजी 2 के पृष्ठ सं०-66/I पर खाता सं०-4/1 कुल रकबा 3.33 ए० की जमाबंदी मोदो सिंह पिता चोहन सिंह के नाम से कायम हैं जिसका लगान रसीद वर्ष 2022-2023 तक निर्गत दर्ज हैं।

द्वितीय पक्ष का चालु पंजी 2 के अनुसार :- ऑफलाइन पंजी 2 के पृष्ठ सं०-4/I पर खाता सं०-4 कुल रकबा 3.29½ ए० व आनलाइन पंजी 2 के पृष्ठ सं०-4/I पर खाता सं०-4 कुल रकबा 3 ए० 23.5 डी० जो अनहछ ग्वाला पिता कारु ग्वाला के नाम से जमाबंदी कायम हैं। जिसका लगान रसीद वर्ष 2011-2012 तक निर्गत हैं।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अनुसार मामला स्वत्व से संबंधित हैं जिसका निर्धारण इस न्यायालय से नहीं किया जा सकता हैं।

अतः असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं, वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती हैं।

लेखापित व शुद्धित

अंचल अधिकारी
चौपारण

अंचल अधिकारी
चौपारण